

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 619 /2023 दिनांक 20.02.2023

श्रीमती स्वाति पारीक (RJ0901) प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनूं को दिनांक 18.01.2023 से 20.01.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनूं ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनूं के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
17-02-2023

कमांक:—स्था.बी.2(4)/72/2015/1365

दिनांक :20.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं को उनके पत्रांक 1086 दिनांक 24.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती स्वाति पारीक (RJ0901) प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनूं।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनूं।
5. सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड, झुंझुनूं।


20.2.2023

सहायक रजिस्ट्रार